

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।

दाण्डिक वाद संख्या- 35 / 2018

सरकार

बनाम

रामआसरे

मु.अ.सं.- 15 / 2018

धारा-60 आबकारी अधिनियम।

थाना-मऊ।

जिला-चित्रकूट।

आरोप

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्त रामआसरे को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-26.01.2018 को समय लगभग 07:10 बजे रात्रि में स्थान-प्राइमरी स्कूल के पास, बहद ग्राम-बौसड़ा, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में थाना हाजा की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से एक पिपिया में 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब महुआ बरामद की गई है जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-13.03.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-13.03.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मऊ, चित्रकूट।